

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 04/2019

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीपक्ष

मोतीसिंह के कायम मुकाम

1/1. सवाईसिंह पुत्र मोतीसिंह

1/2. श्यामसिंह पुत्र मोतीसिंह

1/3. पप्पुसिंह पुत्र मोतीसिंह

1/4. शिवसिंह पुत्र मोतीसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम दांतीवाड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आवंटन नियमन माफिक आदेश तहत तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एल आर 752/1973 दिनांक 08.11.1977 के पालनार्थ में की गई आगे की समस्त कार्यवाही को निरस्त करवाने बाबत।

— — —

उपस्थिति

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

2. अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित (अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4)।

—: आदेश :-

दिनांक 31.07.2020

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आवंटन नियमन माफिक आदेश तहत तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एल आर 752/1973 दिनांक 08.11.1977 के पालनार्थ में की गई आगे की समस्त कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत हुआ। राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) के तहत आवंटन/नियमन को निरस्त हेतु विवादित आराजी खेत खसरा नं0 546/1 रकबा 11.10 बीघा वाके मौजा ग्राम दांतीवाड़ा भूमि किस्म गै0 मु0 जोड़ का आवंटन (मिसलानुसार) अप्रार्थी को बिना कब्जा काश्त के आधार पर किया गया जो विधि विरुद्ध है। आवंटन द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 12.11.1977 आवंटित मोतीसिंह के नाम से

स्वीकार किया गया उक्त भूमि गै0 मु0 जोड़ की भूमि है, से व्यथित होकर राजस्व प्रार्थना-पत्र पेश हुआ है।

प्रार्थना-पत्र मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अभिलेख में केवल नामान्तरकरण संख्या 397 ग्राम दांतीवाड़ा की मूल प्रति प्राप्त हुई। मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व प्रार्थना-पत्र के विचाराधीन रहते अप्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 व 151 सी0 पी0 सी0 का प्रस्तुत कर बतलाया कि प्रार्थी ने मोतीसिंह के कायम मुकाम के रूप में उनके पुत्रों को ही पक्षकार बनाया है जबकि स्व0 मोतीसिंहजी के पांच पुत्रियां भी है जिनके नाम क्रमशः उच्छब कंवर, शिवप्यार कंवर, पारस कंवर, उम्मेद कंवर तथा स्वरूप कंवर है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रों के समान ही पुत्रियों को भी अधिकार प्राप्त है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी या तो मृतक की पुत्रियों को पक्षकार बनाये या विकल्प में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने मोतीसिंह के कायम मुकाम अप्रार्थीगण सवाईसिंह, श्यामसिंह, पप्पूसिंह व शिवसिंह के साथ स्व0 मोतीसिंह की पुत्रियों क्रमशः उच्छब कंवर, शिवप्यार कंवर, पारस कंवर, उम्मेद कंवर तथा स्वरूप कंवर है उन्हे भी प्रकरण में पक्षकार बनाने का निवेदन किया है। प्रकरण में पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता क्यों संलग्न जमाबन्दी अनुसार खातेदार मोतीसिंह की मृत्यु होने पर ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा न0 546/1 रकबा 11.10 बीघा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण सवाईसिंह, श्यामसिंह, पप्पूसिंह व शिवसिंह पिता स्व0 मोतीसिंह व श्रीमती सूरजकंवर बेवा मोतीसिंह के नाम ही दर्ज है। स्व0 मोतीसिंह की पुत्रियां उक्त भूमि में सह खातेदार नहीं होने के कारण ही इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं न ही बनाया जा सकता है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अब कोई आवश्यक पक्षकार शेष नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत प्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने का खारिज किया जाता है।

प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों में बतलाया कि विवादित आराजी खेत खसरा नं० 546/1 रकबा 11.10 बीघा वाके मौजा ग्राम दांतीवाडा भूमि किस्म गै० मु० जोड़ का आवंटन अप्रार्थी को बिना कब्जा काश्त के आधार पर किया गया जो विधि विरुद्ध है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आवंटन अपने आप में विधि विरुद्ध है क्योंकि माफिक आदेश तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एल आर 752/1973 दिनांक 08.11.1977 में ऐसा कोई आधार स्पष्ट नहीं है जिसे विधिवत माना जाये।

प्रार्थी ने निरन्तर अपने तथ्यों में बतलाया कि विवादग्रस्त आराजी की किस्म गै० मु० जोड़ को तथाकथित रूप से बारानी अब्बल दर्ज करते हुए आवंटित की गई जबकि किस्म प्रतिबंधित भूमियों वाली थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में दर्शाई गई है। प्रकरण में आवंटित आराजी कि किस्म मिसल बन्दोबस्त में गै० मु० जोड़ है इसी कारण ऐसा आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रार्थी ने अपनी बहस में आगे कहा कि विवादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने के कारण आवंटित भूमि की किस्म गै० मु० जोड़ होने के कारण नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थीपक्ष के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र बाबत् मियाद का बिन्दु प्राथमिक रूप से तय करने का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मियाद बाहर है तथा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र भी सलंग्न नहीं है। अप्रार्थी के पक्ष में वर्ष 1977 में आवंटन हुआ जिसके पश्चात करीब 45 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां किसी कार्यवाही के लिये मियाद निर्धारित नहीं की गई है वहां पर अधिकारों का प्रयोग एक निर्धारित समय सीमा में ही किया जा सकता है। आर० बी० जे० 2002 (9) पेज 193 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां मियाद तय नहीं है वहां अधिकतम मियाद तीन वर्ष की होती है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) तीन वर्ष के बाद मियाद बाहर हो गया है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय करना आवश्यक है क्योंकि आर० आर० डी० 2009 पेज 465 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां तीन साल से ज्यादा का विलम्ब हो तो पहले लिमिटेशन का प्रश्न तय किया जायेगा उसके बाद गुणावगुण पर निर्णय होगा। अप्रार्थी के अभिभाषक के न्यायिक निर्णय प्रस्तुत

कर निवेदन किया कि प्राथमिक आपत्ति के आधार पर ही प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत नियमन/आवंटन को निरस्त करने हेतु पेश किया है लेकिन आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति सलंगन नहीं है। अतः रेवेन्यू कोर्ट्स मैनुअल भाग 2 के नियम 30 के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दोषपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। रेवेन्यू कोर्ट्स मैनुअल भाग 2 के नियम 32 के अनुसार यदि अपेक्षित प्रतिलिपियां ऐसे समय के भीतर अथवा ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो दर्शाये गये पर्याप्त कारणों से न्यायालय द्वारा अनुज्ञप्त किया जाये, आपूर्ति नहीं की जाती है तो ज्ञापन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

अप्रार्थीपक्ष के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में भूमि खसरा नं0 546/1 को गै0 मु0 जोड़ गलत बतलाया है, जबकि खतौनी बन्दोबस्त में उक्त खसरा की भूमि की किस्म बारानी अव्वल दर्ज है तथा उसका लगान दर्ज है। जो भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन नियमन के लिये प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में दर्ज नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। आवंटन आदेश दिनांक 08.11.1977 के तहत नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 2.11.1977 को स्वीकृत किया गया तथा प्रार्थी ने लगभग 40 वर्ष बाद दिनांक 13.10.2017 को आवंटन को निरस्त करने हेतु राजस्व प्रार्थना-पत्र पेश किया है जो मियाद बाहर है लेकिन प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया। अतः अप्रार्थी पक्ष के इस कथन से हम सहमत हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मियाद बाहर है। अतः प्रार्थना-पत्र मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। द्वितीयतः प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ नामान्तरकरण संख्या 397 ग्राम दांतीवाडा की कॉलम संख्या 14 में अंकित आवंटित माफिक आदेश तहसीलदार जोधपुर के आदेश संख्या एलआर 752/1973 दिनांक 08.11.1977 के अनुसार नामान्तरकरण भरा गया। उक्त आदेश की मूल/प्रमाणित प्रतिलिपि भी अपने प्रार्थना-पत्र के साथ पेश नहीं की है जबकि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2007 में खसरा नं0 546/1 की किस्म बारानी अव्वल

अंकित है। आवंटित भूमि की किस्म बारानी अब्बल होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती है। प्रार्थी ने जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है वह रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल पार्ट 2 के नियम 30 व 32 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है। अतः रेवेन्यू कोर्ट्स मैनुअल भाग 2 के नियम 30 व 32 के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दोषपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत करने व सारहीन होने से निरस्त किया जाकर प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त आवंटन आदेश में अंकित भूमि अन्य किसी नियमों व न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन करती है तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मय मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर को भिजवाया जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

